IN THE COURT OF SUB-JUDGE, SHAHPUR PATORI, SAMASTIPUR

T.S-66/2016

SMT. ABHA DEVI .....PLAINTIFF
Vs.
MUKESH KUMAR THAKUR & OTHERS.....DEFENDANTS

ORDER

07.03.22 वाद हस्तक्षेपक आवेदन दिनांक–11.03.2019 पर आदेश हेतु नियत है। उभय पक्षों को सुना।

हस्तक्षेपक प्रमोद नारायण ठाकुर पे0 स्व0 जनार्दन ठाकुर का अपने आवेदन में कथन है कि प्रस्तुत वाद की विषय–वसतु पुराना खाता सं0–235, खेसरा 1854 की भूमि प्रार्थी की मौरूसी सम्पत्ति है जो निबंधित केवाला दिनांक–31.10.1961 के द्वारा स्व0 जनार्दन ठाकुर पे0 स्व0 राम लगन ठाकुर व अन्य को प्राप्त थी। यह कि प्रार्थी उक्त भूमि पर शांतिपूर्ण दखल–कब्जा में है तथा मालगुजारी अदा करता आ रहा है। यह कि प्रस्तुत वाद के पक्षकार आपस में षडयंत्र करके गलत तरिके से डिक्री प्राप्त करना चाह रहे हैं। यह कि वाद के पूर्ण न्यायनिर्णयन हेतु प्रार्थी का वाद में पक्षकार बनना आवश्यक है एवं पक्षकार बनने पर प्रार्थी अपना प्रतिवादपत्र दाखिल करने को तैयार है। यह प्रार्थना की गई कि प्रार्थी को प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी के कॉलम में प्रतिस्थापित किया जाए। हस्तक्षेपक की ओर से केवाला दिनांक–31.10.1961 की छायाप्रति एवं जनार्दन ठाकुर के नाम से रसीद दाखिल किया गया।

अपने प्रत्युत्तर दिनांक–10.06.2019 तथा 18.12.2020 में वादी का कथन है कि हस्तक्षेपक प्रार्थी प्रमोद नारायण ठाकुर ने वादी के विक्रेता के विरुद्ध एक हकियत वाद 402/2014 दाखिल किया है, जिसमें मो0 लालबाबू को प्रतिवादी सं0–4 बनाया है। यह कि उक्त हकियत वाद में हस्तक्षेपक प्रार्थी द्वारा ऐसी किसी भी भूमि का विवरण नहीं दिया गया है जिसे वादी ने खरीदा है। यह कि हकियत वाद 402/2014 के आदेशफलक दिनांक–26.07.2016 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक वाद को लंबित रखना चाहता है। अतः हस्तक्षेपक के आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना की गई।

अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा विवादित भू–भाग पर हकियत एवं दखल–कब्जा हेतु वाद दाखिल किया गया है। हस्तक्षेपक प्रार्थी के द्वारा दाखिल केवाला मालगुजारी रसीद की भूमि तथा प्रस्तुत वाद का विषय–वस्तु समान है। ऐसी स्थिति में हस्तक्षेपक प्रार्थी का आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा प्रार्थी हस्तक्षेपक को प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय हस्तक्षेपक प्रतिवादी प्रमोद नारायण ठाकुर का नाम प्रतिवादी कॉलम में प्रतिवादी सं0–4 के रूप में अंकित करे।

दिनांक–25.04.2022 वास्ते करने दाखिल प्रतिवादी पत्र प्रतिवादी सं0–4 की ओर से।

07/03/2022

अवर न्यायाधीश